राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 13118/2023

फरीद खान पुत्र रतन खान, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सिंधों का बास, पीपाड़ सिटी, तहसील पीपाड़, जोधपुर, राजस्थान.

----अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, (राज.) के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक, (अराजपत्रित, निदेशालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर।
4. अधीक्षक, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जालोरी गेट, जोधपुर, राजस्थान.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री एन एस राजपुरोहित

प्रतिवादियों के लिए : श्री बी एल भाटी, एएजी के लिए

श्री राजेंद्र सिंह और श्री मोहन लाल

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

26/02/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों की निष्क्रियता और निर्देश से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दिनांक 03.07.2023 (अनुलग्नक 17) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उसके पास अपेक्षित कार्य अनुभव/पेशेवर योग्यता का अभाव है और उसने लैब सहायक या लैब तकनीशियन के रूप में काम करने का कोई ठोस सबूत नहीं दिया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सबसे पहले नरेंद्र बरवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1669/2022 के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया, जिस पर 05.05.2022 को निर्णय हुआ और कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से उसी के अंतर्गत आता है। उपरोक्त निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात मैं अपने विद्वान भाई अरुण भंसाली जे. (तब वे इस न्यायालय में थे) द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। निर्णय के अर्थ से यह स्पष्ट है कि कार्य अनुभव चाहे लैब टेक्नीशियन या लैब सहायक के पद पर हो, यह महत्वहीन है, बशर्ते अभ्यर्थी ने प्रयोगशाला में काम किया हो, क्योंकि लैब सहायक और लैब टेक्नीशियन के कर्तव्य समान प्रकृति के होते हैं।

3. वास्तव में, इस मामले की सुनवाई न्यायालय समय के पहले भाग में हुई थी और प्रतिवादियों के विद्वान वकील के अनुरोध पर इसे आगे बढ़ा दिया गया था, ताकि वह उपरोक्त निर्णय पर विचार कर सकें।

4. पुनः शुरू की गई सुनवाई के दौरान, न्यायालय के प्रश्न पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि यद्यपि उपरोक्त निर्णय में याचिकाकर्ता का मामला इस मामले में याचिकाकर्ता के मामले के समान ही था, लेकिन उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का भाग्य समीक्षा याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।

5. जैसा भी हो, आज की तारीख में याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्णय का लाभ पाने का हकदार है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा किसी भी अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई थी और जो अंतिम हो गया है।

6. तदनुसार, तत्काल रिट याचिका को पूर्वोक्त निर्णय के समान शर्तों पर अनुमति दी जाती है। दिनांक 03.07.2023 (अनुलग्नक 17) का आक्षेपित आदेश आगामी परिणामों सहित रद्द किया जाता है।

7. यह पता चला है कि दिनांक 15.01.2024 के अंतरिम आदेश के तहत इस न्यायालय ने प्रतिवादियों को रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक पद रिक्त रखने का निर्देश दिया था और इसलिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उसी पद का लाभ देने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, आवश्यक अभ्यास आज से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा, उसी तिथि से जिस तिथि से उसके समकक्षों को उसी चयन

प्रक्रिया के तहत शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने उनके साथ भाग लिया था, लेकिन वह 'कोई काम नहीं तो कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।